

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

अवगत कराना है कि छात्र/छात्राओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया था। छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली-2020 में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श के उपरान्त संस्तुति की गयी थी। जिसकी कम में निम्नानुसार फीस की धनराशि माफ करने/सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है। छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत है :-

Sl. No.	Student/Father Name	Roll No.	Course/Branch	Assistance (Rupees)	विवरण
01.	Akash Pathak	2020041021	B.Tech ECE (II)	96,600.00	01. कम संख्या 01 से 07 तक के छात्र/छात्राओं के माता-पिता में से जीविकोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में छात्र को अध्ययन जारी रखने हेतु सत्र 2021-22 के लिए विश्वविद्यालय शुल्क (मैस शुल्क को छोड़ कर) का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। 02. निम्न छात्र/छात्राओं को इस प्रतिबन्ध के साथ छात्र कल्याण निधि का लाभ प्रदान किया गया है कि समस्त छात्र/छात्राएं भविष्य में उनके द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्था द्वारा दिये जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेंगे। यदि इसके उपरान्त भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है (छात्र/छात्राओं द्वारा फॉर्म भरने आदि में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होने पर) तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य के अगले सत्रों में पुनः उनकी विश्वविद्यालय फीस को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।
02.	Atul Bhargave	2020031055	B.Tech EE (II)	96,600.00	
03.	Priya Yadav	2019061048	B.Tech CHED (IV)	40,600.00	
04.	Sudhanshu Mishra	2018031111	B.Tech EE (VII)	96,600.00	
05.	Divyansh Vinod	2019071025	B.Tech IT (IV)	96,600.00	
06.	Divyansh Nishad	2019031048	B.Tech EE (III)	81,600.00	
07.	Nilakshi Pandey	2020073007	M.Sc. Physics (IV)	43,600.00	
08.	Buchchu Prasad F/o Late. Viswajeet Mani (2019013323)	--	M.Tech CE/STR (IV)	1,00,000.00	01. कम संख्या 08 एवं 09 के अंकित छात्र/छात्रा की मृत्यु की दशा में माता-पिता को छात्र कल्याण निधि नियमावली 2020 के अन्तर्गत छात्रों के अभिभावक को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने कि संस्तुति की जाती है। 02. कम संख्या 08 एवं 09 पर अंकित छात्रों के अभिभावक को एक-एक लाख का चेक वित्त नियंत्रक द्वारा जारी किया जायेगा।
09.	Sanjay Jaiswal F/o Late. Harshita Jaiswal (2019021067)	--	B.Tech CSE (IV)	1,00,000.00	
Total Amount Rs.				7,52,200/-	

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/अधि0छा0मा0/INC_142/473/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सम्बन्धित छात्रगण/अभिभावक।
02. अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता/परास्नातक अध्ययन शोध एवं विकास।
03. मुख्य छात्रावास अधीक्षक।
04. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक।
05. कुलसचिव।
06. वै0सहा कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
07. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रो0 ए0 एन0 तिवारी)

अधिष्ठाता, छात्र मामले

दिनांक: 03 जून, 2022

(प्रो0 ए0 एन0 तिवारी)

अधिष्ठाता, छात्र मामले